



राजस्थान सरकार  
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग  
बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: प.1(8) रि.टा.बे./व्य.एवंप./प्रा.नि./2021/1077

दिनांक 14.10.2021

परिपत्र

राज्य सरकार की बजट घोषणा 249 की अनुपालना एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के प्रभावी हो जाने पर सामान्य प्रावधायी निधि के आहरण स्वीकृति की स्वचालित प्रक्रिया विभागीय जिला कार्यालयों में दिनांक 13.10.2021 से प्रारम्भ की जा चुकी है। स्वचालित प्रक्रिया के तहत अंशदाताओ द्वारा प्रावधायी निधि के आहरण हेतु आवेदन किये जाने पर रियल टाईम बेसिस पर ऑटो पेमेन्ट आर्डर जारी होकर पे-मैनेजर के माध्यम से आवेदको के बैंक खातों में स्वीकृत आहरण राशि जमा का प्रावधान है।


उक्त स्वचालित भुगतान प्रक्रिया के तहत अभिदाता वित्तिय वर्ष के प्रारंभ पर अपने जीपीएफ खाते से जमा राशि का सेवाकाल के आधार पर निम्नानुसार आहरण करने का पात्र होगा-

क्र. सं.	सेवाकाल	आहरण प्रतिशत
1.	5 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवा पर	10 प्रतिशत
2.	15 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष से कम सेवा पर	30 प्रतिशत
3.	25 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम सेवा पर	40 प्रतिशत
4.	30 वर्ष से अधिक सेवा पर (अधिकतम)	50 प्रतिशत

जीपीएफ आहरण की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

1. अभिदाता अपने एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर **SIPF Portal (New)** पर क्लिक करे।
2. एसआईपीएफ पोर्टल (**New**) के डैशबोर्ड पर उपलब्ध जीपीएफ में **Click for GPF Transaction** के बटन पर क्लिक करें।
3. इसके पश्चात **Withdrawal** के बॉक्स को क्लिक करने पर निम्न दो विकल्प प्राप्त होंगे :-  
**Auto Process (As Per Service)**  
**Manual Process**
4. **Auto Process (As Per Service)** विकल्प का चयन करने पर सेवाकाल के आधार पर **Eligible Amount** प्रदर्शित होगा (अधिकतम 50 प्रतिशत), जिसे पूर्णांक राशि में **Withdrawal Amount** में फीड करना है तथा **Next** बटन पर क्लिक करने पर बैंक डिटेल प्रदर्शित होगी, जो

- कि कार्मिक के पे-मैनेजर में उपलब्ध वेतन की बैंक डिटेल है। उसके पश्चात **Validate** के बटन पर क्लिक करना है।
5. यदि कार्मिक **Manual Process** का विकल्प लेता है तो **Reason for Withdrawal** का चयन करने के पश्चात अधिकतम 75 प्रतिशत एवं अभिदाता की की सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम सेवावधि शेष रहने पर 90 प्रतिशत **Eligible Amount** प्रदर्शित होगी। जिसे पूर्णांक राशि में **Withdrawal Amount** में फीड करना है। **Next** बटन पर क्लिक करने पर बैंक डिटेल प्रदर्शित होगी, जिसकी आवश्यक रूप से जांच करें। यदि बैंक डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो पे-मैनेजर पर सही करवाना होगा, तत्पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल पर बैंक डिटेल स्वतः सही हो जायेगी।
  6. **Next** बटन पर क्लिक करने पर **Documents** की स्क्रीन पर उपलब्ध **Validate** के बटन पर क्लिक करना है।
  7. बिन्दु संख्या 4 अथवा 5 में उल्लेखित किसी एक विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात **Submit with Aadhar/Janadhar** में से किसी एक का प्रयोग करें तथा रजिस्टर्ड मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होने पर ओटीपी सबमिशन करें।
  8. एसआईपीएफ पोर्टल पर **Auto Process (As Per Service)** विकल्प की स्थिति में **Payment Initiate** पर क्लिक करने पर है तथा **Manual Process** विकल्प की स्थिति में सीधे ही **Successfull** का मैसेज प्रदर्शित होगा।
  9. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया के उपरान्त जीपीएफ की आहरित राशि कार्मिक के बैंक खातों में जमा हो जावेगी।
  10. एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पर स्वचालित प्रक्रिया के तहत भुगतान **Initiate** होने पर जिला कार्यालयों द्वारा भुगतान की जांच की जावेगी। भुगतान प्रकरण में तत्काल ओ.बी., सी.बी. का मिलान किया जायेगा। किसी प्रकार की विसंगति होने पर तत्काल उसका निराकरण किया जाकर आवश्यक होने पर मुख्यालय के ध्यान में लाया जायेगा।


  
(रामपाल परसोया)  
अतिरिक्त निदेशक (पीएफ)

क्रमांक: प.1(8) रि.टा.बे./व्य.एवंप./प्रा.नि./2021/ 1078-1147

दिनांक 14.10.2021

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/साधारण बीमा निधि जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभागीय कार्यालय।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय।

  
अतिरिक्त निदेशक (पीएफ)